



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 401975

[10]

आपत्ति नहीं होगी। यदि आज से पहला कोई लगान या आवपाशी या अन्य ड्यूज बकाया होगा तो उसको स्वयं प्रथम पक्ष विक्रेतागण चुकता करेंगी और आज से आगे के समस्त लगान एवं आवपाशी व अन्य ड्यूज स्वयं द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी चुकता करेंगी। यदि अब अथवा भविष्य में उपरोक्त भूमि भूमिधरी अथवा उसका अंश किसी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोषवश द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या कोई ऋण या भार विक्रीत भूमि भूमिधरी पर पाया जायेगा और द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये चुकता करना पड़ जायेगा या विक्रय पत्र मिलकियत में कमी पाये जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी के समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी कि दशा हो क्षति व खर्चा बैनामा व कानूनी ब्याज व वाद व्यय सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेतागण एवं उनके उत्तराधिकारीगण एवं चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा किसी को कोई आपत्ति

Shekhar Ali 2/5/20 2/5/20 2/5/20 2/5/20